झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

कालीनगर, चायबगान, नामकोम, राँची–834010.

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा– 2017

आवश्यक सूचना संख्या – 24

संख्या :– 3858 राँची, दिनांक 21.08.2018

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विभिन्न विषयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु योग्य उम्मीद्वारों के चयन के निमित्त विज्ञापन संख्या 10/2017 प्रकाशित करते हुए दिनांक 01.12.2017 से 10.01.2018 तक ऑन लाईन आवदेन पत्र आमंत्रित किए गये थे। उपर्युक्त परीक्षा के अधीन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं गणित विषयों की परीक्षा क्रमशः दिनांक 09.03.2018, 05.03.2018 एवं 23.03.2018 को दो पालियों में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात मेधा क्रमानुसार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का प्रारम्भिक सत्यापन दिनांक 11.07.2018 एवं 13.07.2018 को किया गया। उक्त जाँच में अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु जाँच की तिथि से एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। उक्त निर्धारित जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 09.08.2018 को आमंत्रित करते हुए उनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गई तथा इस तिथि को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया।

2. उपर्युक्त पदों में पात्रता/शैक्षणिक अहर्त्ता/आरक्षण इत्यादि की शर्त्तें संक्षेप में तद्हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं विस्तृत शर्त्तें उक्त विज्ञापन से सम्बन्धित विवरणिका में अंकित की गई हैं। आरक्षण सम्बन्धी विस्तृत शर्त्तें विवरणिका की कंडिका 10 में अंकित करते हुए विवरणिका की कंडिका 12 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि **''आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् परीक्षाफल को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रविष्टि यथा जन्म तिथि, जाति, निःशक्त जन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।''**

4. विज्ञापन की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह अंकित किया है कि परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने तथा आवेदन में भरे गये पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

5. पात्रता/आरक्षण/आयु सीमा इत्यादि की शर्त्तें निम्नवत् निर्धारित है :–

क) **आरक्षणः–** **यथा** विवरणिका की कंडिका– 10 में निहित

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय *होगी*। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थी सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के माने जायेंगे।

(III) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा **प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के** अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) जाति प्रमाण पत्र– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1 एवं 2) के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची–2 के लिए दिनांक 31.03.2015 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) महिलाओं के आरक्षित पदों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा **एवं अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।**

(iv) दिव्यांग कोटि (दृष्टिदोष/मूक वधिर/चलन निःशक्तता, सेरेब्रल पाल्सी) के तहत क्षैतिज आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र की संख्या एवं उसके निर्गम की तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी तथा प्रमाण पत्रों के जाँच के समय उक्त प्रमाण पत्र जाँच हेतु आयोग को उपलब्ध कराना होगा। दिव्यांग कोटि के अधीन क्षैतिज आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही देय है।

(v) **सभी वांछित प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत तिथि आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है।**

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।

नोटः– सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I, परिशिष्ट–II एवं परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति

प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते है, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता यथा विज्ञापन की कंडिका 5 में अंकितः–

(I) विहित शैक्षणिक योग्यताः– ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, जीव विज्ञान के पद के लिए वनस्पति शास्त्र अथवा जन्तु शास्त्र में से किसी एक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको क साथ स्नातकोत्तर डिग्री तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।

(II) विहित तकनीकी योग्यताः – मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी0एड0 के समकक्ष घोषित डिग्री, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण का परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। ऐसे कोई अभ्यर्थी जिनका बी०एड० प्रशिक्षण की अवधि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक पूरी नहीं हुई हो, वे आवेदन देने के पात्र नहीं हैं।

ग) आयु सीमा यथा विज्ञापन की कंडिका 8 में अकितः–

<u>आयु सीमाः</u>– उम्र की गणना दिनांक– 01.01.2017 के आधार पर की जायेगी।
न्यूनतम उम्र – 21 वर्ष ।
अधिकतम उम्र :–

(क) अनारक्षित/सामान्य– 40 वर्ष।

(ख) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 2)– 43 वर्ष।

(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)– 42 वर्ष।

(घ) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)– 45 वर्ष

(ड़) सभी कोटि के दिव्यांग (निःशक्त) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पॉच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

घ) **अनुभव :– झारखण्ड सरकार के** सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थी के लिए झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में आवेदन समर्पित करने की तिथि तक 03 वर्षों का शैक्षणिक कार्यानुभव परन्तु, वैसे शिक्षक

आवेदन देने के पात्र नहीं होगें जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो या जिनके विरुद्ध संसूचित शास्ति प्रभावी हो। अनुभव एवं अन्य स्वच्छता संबंधी प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–IV) में

निर्गत किया जायेगा एवं इस प्रमाण पत्र की संख्या, तिथि तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार की प्रविष्ट आवेदन पत्र में विहित स्थान पर संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा की जायेगी।

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से अभिप्रेत है ''झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में विधिवत प्रक्रिया के तहत निर्धारित अपुनरीक्षित वेतनमान रू० 9300–34800 ग्रेड पे रू० 4600 में नियुक्त एवं कार्यरत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिन्हें झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के पश्चात् 03 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव हो''।

ङ) प्रमाण पत्रों के प्रारम्भिक सत्यापन में अभ्यर्थी की उपस्थितिः– कंडिका 22 (3) (iv)

ऑनलाईन आवेदन में अंकित सभी प्रमाण पत्रों के मूल प्रति का सत्यापन प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में किया जायेगा। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। आयोग परीक्षा प्रक्रिया के बीच कभी भी किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता की जाँच एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकता है।

6. उपर्युक्त शर्त्तों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। तत्सम्बन्धी आपत्तियाँ, अभ्यर्थियों का अभिकथन तथा आयोग का निर्णय निम्न विवरणी में अंकित हैः–

क्र० स०	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – भौतिक शास्त्र (सीधी भर्ती)				
1	BIJOY GANTAI 83201400883 20/Jun/1989	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतिरिक्त समय की मांग अभ्यर्थी द्वारा की गई	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	DIPTA CHAKI 79091400994 28/May/1991	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतिरिक्त समय की मांग अभ्यर्थी द्वारा की गई	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	BISWAJIT SINGHA 83201400345 21/Sep/1985	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतिरिक्त समय की मांग अभ्यर्थी द्वारा की गई	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	AJAY KUMAR 79091400240 21/Sep/1985	भौतिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियो के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 13.07. 2018 की तिथि निर्धारित की गई। सम्बन्धित अभ्यर्थियो को SMS तथा E-mail भी भेजे गये एवं इससे सम्बन्धित सूचना आयोग के वेब साईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में		उपर्युक्त कंडिका 5 (ङ) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	KAJAL PAUL 83201400876 25/Dec/1989			

क्र॰ स॰	नाम/ अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
		प्रकाशित की गई। दिनांक 13.07. 2018 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 09.08.2018 की तिथि निर्धारित की गई तथा पुनः SMS तथा E-mail भी भेजे गये। इसके वाबजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं	–	

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – रसायन शास्त्र (सीधी भर्ती)

क्र॰ स॰	अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	GHANSHYAM PRASAD MEHTA 79091501104 14/Feb/1982	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। अतिरिक्त समय की मांग अभ्यर्थी द्वारा की गई	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	TUMPA CHAKRABORTY 83201500698 25/May/1992	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अभ्यर्थिता अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	SOUMEN MONDAL 83201500076 06/Sep/1989	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा कारण पृच्छा का उत्तर नहीं दिया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
4	NEHA KUMARI 79091500956 28/Dec/1992	आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग अनुसूची -II का दावा किया गया परन्तु सत्यापन के क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि राज्य में नियोजन के लिए आरक्षण दावे को समर्थित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी को दिनांक 16.08.2018 को ई–मेल संदेश भेजा गया।	अभ्यर्थी द्वारा तीन जाति प्रमाण पत्र क्रमशः 18.11.2016 को अंचलाधिकारी, नवाडीह द्वारा निर्गत, दिनांक 07.07. 2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमो द्वारा निर्गत तथा 11.01.2010 को अनुमंडल पदाधिकारी, गिरीडीह द्वारा निर्गत समर्पित किये गये। अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र नियोजन हेतु मान्य नहीं है तथा 07.07.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्गत है। दिनांक 11.01.2010 को निर्गत जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिकाओं के अनुकुल नहीं है तथा इसमें क्रिमी लेयर की स्पष्टता भी नहीं है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (क) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकता है। अतः उनकी अभ्यर्थिता सीधी भर्ती के अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
5	SANGAM KRANT 83891500129 15/Mar/1992	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र	अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं हुआ है। दिसम्बर 2018 तक अतिरिक्त समय की मांग अभ्यर्थी द्वारा की गई।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की

क्र० स०	नाम/ अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
		समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।		जाती है।
6	PANKAJ SINGH 3891500286 24/Dec/1985	रसायन शास्त्र विषय के अभ्यर्थियो के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 13.07. 2018 की तिथि निर्धारित की गई। सम्बन्धित अभ्यर्थियो को SMS तथा E-mail भी भेजे गये एवं इससे सम्बन्धित सूचना आयोग के वेब साईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। दिनांक 13.07. 2018 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 09.08.2018 की तिथि निर्धारित की गई तथा पुनः SMS तथा E-mail भी भेजे गये। इसके वाबजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं	–	उपर्युक्त कंडिका 5 (ङ) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
7	SACHIN SINGH PARIHAR 79091500782 01/Aug/1994			
8	TRIPURARI PUJAN 79091500754 01/Mar/1987			
9	ARABINDA MAJHI 79091500921 03/Mar/1993			

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – रसायन शास्त्र (झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कर्णांकित रिक्ति के विरूद्ध)

क्र० स०	अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	NILAM KUMARI 79091500806 16/Oct/1989	झारखण्ड सरकार के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन पत्र समर्पित किया गया। जाँच के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभ्यर्थी झारखण्ड सरकार के माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नहीं हैं।	अभ्यर्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (घ) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थिता सीधी भर्ती की रिक्ति तक सीमित की जाती है।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक – गणित (सीधी भर्ती)

क्र० स०	अनुक्रमांक/ जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
1	NEERAJ KUMAR 83201701110 22/Oct/1992	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी०एड० में न तो अपनी उत्तीर्णता दर्ज की गई न ही प्राप्तांक दर्शाया गया। अभ्यर्थी द्वारा 2 सेमेस्टर का अंक पत्र मात्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
2	PINTU MALLIK 27901700203 22/Mar/1994	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी०एड० अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी०एड० में Result awaited अंकित किया गया तथा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
3	BISWAJIT BERA 79091700866 12/May/1992	बी०एड० अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी०एड० उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी०एड० में Result awaited अंकित किया गया। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षाफल, अंक पत्र	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की

क्र॰ स॰	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
		समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	उपलब्ध नहीं कराया गया।	जाती है।
4	DEBASISH MAJEE 79091700493 14/Apr/1993	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी॰एड॰ में Result awaited अंकित किया गया तथा प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर का अंक पत्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
5	SAJAL MANDAL 83201700996 18/May/1994	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी॰एड॰ में Pursuing अंकित किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि विवरणिका की शर्त्तो को नहीं पढ़ने समझने के कारण उनसे यह भूल हुई है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
6	RAJKUMAR DAS 83891700665 13/May/1993	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी॰एड॰ में न तो अपनी उत्तीर्णता दर्ज की गई न ही प्राप्तांक दर्शाया गया। अभ्यर्थी द्वारा 3 सेमेस्टर का अंक पत्र मात्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
7	PREMFUL KUMAR 79091700233 25/Dec/1993	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी॰एड॰ में न तो अपनी उत्तीर्णता दर्ज की गई न ही प्राप्तांक दर्शाया गया। अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा के उत्तीर्णता के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
8	KUMARI PUNAM JYOTI 85661700224 27/Nov/1987	आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग अनुसूची -II का दावा किया गया परन्तु सत्यापन के क्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया जो कि राज्य में नियोजन के लिए आरक्षण दावे को समर्थित नहीं करता है। अतः अभ्यर्थी को कारण पृच्छा की गई।	अभ्यर्थी द्वारा यह माना गया कि भूल से उनके द्वारा भूल से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में प्रविष्ट किया गया है। उनके द्वारा एक अन्य जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी, सदर द्वारा दिनांक 10.07.2018 को निर्गत BC-II कोटि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया जो आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्गत है। इस जाति प्रमाण पत्र को आरक्षण दावे के समर्थन में मान्य नहीं किया जा सकता है।	उपर्युक्त कंडिका 5 (क) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकता है। अतः उनकी अभ्यर्थिता सीधी भर्ती के अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
9	SANDEEP KUMAR 83201700877 01/Nov/1992	बी॰एड॰ अध्ययनरत अभ्यर्थी के रूप में आवेदन पत्र समर्पित किया गया परन्तु प्रमाण सत्यापन की तिथि तक बी॰एड॰ उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र/ अंक पत्र समर्पित नहीं किया गया। अभ्यर्थी सत्र 2016–2018 में बी॰एड॰ अध्ययनरत हैं।	अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्रों के सत्यापन में बी॰एड॰ में Pursuing अंकित किया गया तथा यह स्पष्ट किया गया कि विवरणिका की शर्त्तो को नहीं पढ़ने समझने के कारण उनसे यह भूल हुई है। अभ्यर्थी द्वारा 2 सेमेस्टर का अंक पत्र मात्र समर्पित किया गया।	उपर्युक्त कंडिका 5 (ख) (II) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अतिरिक्त समय दिया जाना सम्भव नहीं है अतः आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।

क्र॰ स॰	नाम / अनुक्रमांक / जन्म तिथि	आपत्ति	अभ्यर्थी का अभिकथन	समीक्षा एवं आयोग का निर्णय
1	2	3	4	5
10	CHIRAG KUMAR 79091700652 25/Apr/1990	आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि पिछड़ा वर्ग अनुसूची -II का दावा किया गया तथा Caste certificate no. JHCC/2017/1669605 date 14.12.2017 प्रविष्ट किया गया परन्तु सत्यापन के क्रम में प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र से यह ज्ञात हुआ कि यह प्रमाण पत्र दिनांक 14.07.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, राँची द्वारा निर्गत है।	अभ्यर्थी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र आवेदन देने की तिथि तक निर्गत नहीं हुआ था। मात्र acknowledge slip के आधार पर उन्होंने जाति का दावा कर दिया था।	स्पस्ट होता है कि आवेदक द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 10.01.2018 तक वैध जाति प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था। अतः उनके द्वारा किये गये आरक्षण दावें को उपर्युक्त कंडिका 5 (क) में अंकित शर्त्तों के आलोक में मान्य नहीं किया जा सकता है तथा उनकी अभ्यर्थिता सीधी भर्ती के अनारक्षित कोटि की रिक्ति तक सीमित की जाती है।
11	RANITA DUA 83201700171 15/Nov/1991	गणित शास्त्र विषय के अभ्यर्थियो के प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु 11.07. 2018 की तिथि निर्धारित की गई। सम्बन्धित अभ्यर्थियो को SMS तथा E-mail भी भेजे गये एवं इससे सम्बन्धित सूचना आयोग के वेब साईट तथा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। दिनांक 11.07. 2018 को अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 09.08.2018 की तिथि निर्धारित की गई तथा पुनः SMS तथा E-mail भी भेजे गये। इसके बावजूद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित हैं	–	उपर्युक्त कंडिका 5 (ङ) में अंकित शर्त्तो के आलोक में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक की अभ्यर्थिता समाप्त की जाती है।
12	VINOD SHARMA 83201700498 20/Feb/1992			
13	RANJAN KUMAR 27901700436 25/Jan/1979			

ह॰/–
परीक्षा नियंत्रक